विषय : सरकारी कार्य निपटाने में विलम्ब की समाप्ति, शाखाओं में पुराने विलम्बित मामलों के आंकड़ों का संग्रह करना ।

क्या सभी वित्तायुक्त एवं प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय पर इस संगठन के अशा0 क्रमांक 1250-5 ए0 आर0-70, मास अक्तूबर, 1970 की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ।

2. मामलों के निपटान में देरी को समाप्त करने तथा प्रशासकीय सचिवों को उनकी शाखाओं में लम्बित मामलों की स्थिति से उन्हें सूचित रखने के उद्देश्य से संयुक्त पंजाब सरकार द्वारा जनवरी, 1961 में ये अनुदेश जारी किए गये थे कि लम्बित केसों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में एकत्रित करके प्रति मास प्रशासकीय सचिवों के नोटिस में लाया जाए । उपरोक्त अनुदेश हरियाणा सरकार द्वारा अक्तूबर, 1970 में फिर reiterate किए गए थे । परन्तु यह देखने में आया है कि इन अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है । जिसके फलस्वरूप कई शाखाओं द्वारा विलम्बित मामलों की सूची उचित समय पर तैयार नहीं की जाती । यह एक गम्भीर चूक है ।

3. यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में कथित सूचि प्रत्येक मास की सात तारीख तक सचिवों को प्रस्तुत करने के पश्चात, उसकी अतिरिक्त प्रति हर मास की 10 तारीख तक अवश्य ही प्रशासकीय सुधार शाखा में पहुंचा दी जाए, ताकि विलम्बित मामलों की सूची, आंकड़ों का संग्रह करने के पश्चात, प्रशासकीय सुधार शाखा द्वारा उचित समय पर मुख्य मन्त्री महोदय को प्रस्तुत की जा सके । कृपया इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन करें ।

4. कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

हस्ता/-
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी वित्तायुक्त, हरियाणा ।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 25/24/78-6 ए0आर0 दिनांक, चण्डीगढ़, 13 अप्रैल, 1979